संख्या : 20/2016/303/छप्पन-2016-88/2012

प्रेषक,

कृष्ण चन्द्र राय शर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),
नई दिल्ली ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 15 फरवरी , 2016

विषय : दिनांक 16 फरवरी, 2016 से 21 फरवरी, 2016 तक सिंगापुर में आयोजित एयर शो में प्रतिभाग की अनुमति।

महोदय,

राजकीय उड़ान प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के लिए नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत एक नये वायुयान के क्रय की कार्यवाही प्रचलित है। दिनांक 16 से 21 फरवरी, 2016 तक सिंगापुर में एयर शो आयोजित है, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 शासन / महानिदेशक, नागरिक उड्डयन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी है, जिसमें श्रीमती अनीता सिंह, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 शासन, श्री एस0के0 रघुवंशी, सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 शासन, श्री देवेन्द्र स्वरूप, निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0, कै0 प्रज्ञेश मिश्र, प्रबन्धक (परिचालन), नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ एवं श्री शोभित दास, मुख्य अभियन्ता, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के नाम सम्मिलित है। श्रीमती अनीता सिंह, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 शासन एवं श्री एस0के0 रघुवंशी, सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 शासन को दिनांक 16-21 फरवरी, 2016 तक सिंगापुर में आयोजित होने वाले एयर शो में प्रतिभाग करने की अनुमति आपको प्रेषित नियुक्ति अनुभाग-8 के शासकीय पत्र संख्या- 359/दो-8-2016-33/एफ0बी0एस0टी(7)/2016, दिनांक 8.2.2016 द्वारा दी जा चुकी है।

2- सम्यक् विचारोपरान्त एयर शो में प्रतिभाग हेतु गठित दल में सम्मिलित शेष तीन अधिकारियों श्री देवेन्द्र स्वरूप, निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, कै0 प्रज्ञेश मिश्र, प्रबन्धक (परिचालन), नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ एवं श्री शोभित दास, मुख्य अभियन्ता, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को दिनांक 16-21 फरवरी, 2016 तक सिंगापुर में

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आयोजित एयर शो में प्रतिभाग / अध्ययन यात्रा की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त अधिकारीगण कृपया भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों से आवश्यक अनापत्ति/क्लीयरेंस प्राप्त कर लेंगे।

3- उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग पर आने वाला समस्त व्यय भार नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर आदेश अलग से निर्गत किये जा रहे हैं।

4- इस विदेश यात्रा के सम्बन्ध में वायुयान की श्रेणी तथा दैनिक भत्ते की अनुमन्यता वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-1817/दस-2005-600/99 टी0सी0-।।, दिनांक 10 जनवरी, 2006 (यथा संशोधित) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी ।

5- भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों से अनुरोध है कि उक्त विदेश यात्रा हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को यथावश्यक क्लीयरेन्स जारी करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

संख्या : 20/2016/303(1)/छप्पन-2016-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधानमंत्री सचिवालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2- सचिव, भारत सरकार, गृह/विदेश मंत्रालय/उप सचिव, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय (पी0वी0अनुभाग)/रेजीडेन्ट कमिश्नर, उत्तर प्रदेश शासन, नई दिल्ली ।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/नागरिक उड्डयन विभाग/प्रमुख स्टाफ अफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन/महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
4- निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बन्धित अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि वह प्रश्नगत यात्रा की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर भारत सरकार के मंत्रालयों से क्लीयरेन्स की प्रतियॉं, भ्रमण रिपोर्ट एवं विभाग से अवमुक्त होने की तिथि (पूर्वान्ह/अपरान्ह) शासन को अवगत करायें ।
6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in